

क्रमांक 60/4/86-एस (1)

प्रष्क

मुख्य सचिव, हरियाणा, सरकार।

सेवा में,

हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त तथा

उपमण्डल अधिकारी (नागरिक)

दिनांक चन्डीगढ़, 10 जून, 1986

विषय : जिला अधिकारियों तथा उपमण्डल स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखने बारे।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान उपायुक्त विषय पर हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 1430-3 एस-71/5968, दिनांक 30 मार्च, 1971 तथा परिपत्र क्रमांक 3062-3 एस-73, दिनांक 14 अगस्त, 1973 में निहित हृदायतों की ओर दिलाऊँ जिसके अनुसार जिलों में सभी राजपत्रित अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट पहले उनके रिपोर्टिंग अथोरिटीज द्वारा initiate करने के पश्चात् उपायुक्त निर्धारित पहलुओं पर अपने रिमार्क्स रिकार्ड करके सीधे सम्बन्धित विभाग के रिब्यूइंग अथोरिटी के पास रिपोर्ट भेजते हैं। इसी प्रकार उपमण्डल स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्ट उनके रिपोर्टिंग अथोरिटी द्वारा initiate करने उपरान्त उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) निर्धारित पहलुओं पर अपने रिमार्क्स रिकार्ड करके सम्बन्धित विभाग के रिब्यूइंग अथोरिटी के पास भेजते हैं। सरकार के ध्यान में यह जाया है कि कई मामलों में उपायुक्तों/उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) द्वारा ये रिपोर्ट सम्बन्धित विभाग के रिब्यूइंग अथोरिटी के पास काफी देरी से भेजी जाती हैं, जिस कारण उन अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी मामलों तथा कि पदोन्नति, इस्तेमाल पार करने इत्यादि में अनावश्यक देरी होती है। अतः आपसे अनुरोध है कि

जब भी आपके पास अन्य विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्टें निर्धारित पहलुओं पर टिप्पणी रिकार्ड करवाने हेतु प्राप्त हों तो उन रिपोर्टों पर अपनी टिप्पणी शीघ्र अंकित करके सम्बन्धित विभाग के रिन्क्यूईगएयोरिटी के पास शीघ्रप्रतिशीघ्र भेज दिया करें।

भयदीय,

हस्ता/-

संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन,
कृते मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

पृष्ठानक क्रमांक 60/4/86-एस(1), दिनांक चण्डीगढ़, 10 जून, 1986

एक प्रति डा0 एस0 जन्म जारल सै हट्टो, हरियाणा विविन्न मैडिकल सर्विसिज एशोसियेशन, मकान नं0 1008, डा0 एस0 एफ0कालोनी, रोहतक को उनके पत्र क्रमांक एच0सी0एम0एस0/एच0 आर0/590, दिनांक 28-4-1986 के सन्दर्भ में सूचनाये प्रेषित है।

हस्ता/-

संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।